



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 476]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

का.आ. 590(अ).—भारत के राष्ट्रपति, आयकर निदेशालय (व्यय बजट) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के सृजन का तत्काल प्रभाव से अनुमोदन करते हैं।

2. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) अनुदान सं. 42 प्रत्यक्ष करों के लिए सभी बजट मामलों के संबंध में नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा इस अनुदान के तहत व्यय बजट के प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य का निष्पादन करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

- बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथाविहित बजट परिपत्र जारी करना;
- इस अनुदान के तहत विभिन्न संघटक कार्यालयों/एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच करना;
- विभिन्न संघटक कार्यालयों/एककों से प्राप्त बजट प्रस्तावों को बजट अभ्यास के प्रत्येक चरण अर्थात् बजट अनुमान (बी ई), संशोधित अनुमान (आर ई) तथा अंतिम आवश्यकता (एफ आर) पर समेकन करना तथा उसे आगे की कार्रवाई हेतु वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;
- संबंधित बजट नियंत्रणकारी प्राधिकारियों को वस्तु शीर्ष-वार अनुमोदित प्रावधान आबंटित करना;
- बजट अनुमानों के विवरण (एस बी ई) को संगत बजट दस्तावेजों में शामिल करने के लिए तैयार करना;
- मंजूर अनुदान की तुलना में व्यय की प्रगति की निगरानी करना तथा मासिक एवं तिमाही व्यय समीक्षा को आगे की कार्रवाई हेतु वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;

- सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन हेतु पुनर्विनियोजन आदेशों, बचतों आदि के अभ्यर्पण का प्रस्ताव वित्त सलाहकार (वित्त) को पेश करना;
- प्रधान सीसीए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से विनियोजन लेखों को अंतिम रूप देना तथा सहमति के लिए वित्त सलाहकार (वित्त) को सौंपना;
- अनुदान हेतु विस्तृत मांग पर वित्त की स्थायी समिति द्वारा की गई जांच के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना;
- व्यय मामलों, उदाहरणार्थ, लेखा परीक्षा अनुच्छेदों/पीएसी अनुच्छेदों इत्यादि पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण में लेखा परीक्षा संदर्भों के संबंध में कार्रवाई करना;
- उपर्युक्त से जुड़ा कोई अन्य मामला ।

3. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) का मुखिया आयकर निदेशक (व्यय बजट) होंगे जो आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी होंगे तथा नई दिल्ली में अवस्थित होंगे। निदेशालय, आयकर महानिदेशक (संभारतंत्र) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगा तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक संबद्ध कार्यालय होगा।

4. आयकर निदेशालय (व्यय बजट) के दो प्रभाग होंगे। इन प्रभागों के मुखिया अपर आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी होंगे जो उन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्य निष्पादित करेंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रभागों को सौंपे गए कार्यों में संशोधन कर सकता है।

5. प्रत्येक प्रभाग में दो आयकर अधिकारी एवं समुचित कर्मचारी मंडल होंगे।

6. आयकर निदेशालय (व्यय विभाग) के कार्मिकों की आवश्यकता को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

7. फिलहाल कार्मिकों की आवश्यकता को आयकर विभाग की कुल संख्या से पूरा किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 15/2011/फा.सं. 402/88/13/2011-आयुक्त(समन्वय)]

अनिल उनियाल, उप-सचिव (मु.)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2011

S.O. 590(E).—The President of India is pleased to approve the creation of the Directorate of Income Tax (Expenditure Budget), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, with immediate effect.

2. The Directorate of Income Tax (Expenditure Budget) will act as the Nodal Authority in respect of all Budget matters for the Grant No. 42- Direct Taxes and will perform all work related to the management of Expenditure Budget under this grant which inter alia, include:

- (i) to issue the Budget Circular as prescribed by Budget Division, Department of Economic Affairs;
 - (ii) to examine the budget proposals received from the various constituent formations/units/under the grant;
 - (iii) to consolidate the budget proposals received from the various constituent formations/units at each stage of the Budget exercise i.e. Budget Estimate (BE), Revised Estimate (RE) and Final Requirement (FR) and submit the same to FA (Finance) for further action;
 - (iv) to allocate object headwise approved provisions to respective Budget controlling authorities;
 - (v) to prepare the statement of Budget Estimates (SBEs) for inclusion in the relevant Budget documents;
 - (vi) to monitor the progress in Expenditure *vis-a-vis* Sanctioned Grant and submit the Monthly and Quarterly Expenditure Review to FA (Finance) for further action;
- (vii) to propose the Re-appropriation orders, surrender of savings etc. to FA (Finance) for concurrence/ approval of the competent authority;
 - (viii) to finalise the Appropriation Accounts in consultation with Principal CCA, CBDT and submit to FA (Finance) for concurrence;
 - (ix) to take necessary action in respect of the examination by the Standing Committee on Finance on Detailed Demands for Grants;
 - (x) to take action in respect of Audit references in Expenditure matters, for example, Action Taken Notes on Audit Paras/PAC para etc.;
 - (xi) Any other matter, related to the above.

3. The Directorate of Income Tax (Expenditure Budget) will be headed by a Director of Income Tax (Expenditure Budget), who will be an officer of the level of Commissioner of Income Tax and will be located in New Delhi. The Directorate will function under the administrative control of the Director General of Income Tax (Logistics), New Delhi and will be an attached office of CBDT.

4. The Directorate of Income Tax (Expenditure Budget) shall have two divisions. These divisions would be headed by the officers of the rank of Additional Commissioners of Income Tax who would perform the functions assigned to them by CBDT. The Central Board of Direct Taxes can amend the functions assigned to the divisions.

5. Each Division shall comprise of two ITOs and an appropriate staff complement.

6. The staff requirement of the Directorate of Income Tax (Expenditure Budget) will be notified separately.

7. For the present the staff requirement will be met from within the overall strength of the Income Tax Department.

[Notification No. 15/2011/F.No. 402/88/13/2011-Comm.(Coord)]

ANIL UNIYAL, Dy. Secy. (Hqrs.)